भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *114

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के अंतर्गत नामांकित लाभार्थी

*114. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाओं-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की महिला/पुरुष-वार तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खाता-वार कुल संख्या कर्नाटक सहित महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के आरंभ से अब तक इनके अंतर्गत कुल कितने दावों का निपटान किया गया है और कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ग) क्या निम्न-आय वाले परिवारों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने में इन योजनाओं के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, नामांकन बढ़ाने और पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में अब तक इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों की कुल संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के अंतर्गत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में श्रीमती स्मिता उदय वाघ और श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा पूछे गए दिनांक 28.7.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत लिंग-वार और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत कर्नाटक और महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित लेखा-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार में नामांकित लाभार्थियों की कुल संख्या को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुबंध I, II और III में दिया गया है।

(ख): प्रारंभ से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत निपटाए गए दावों और संवितरित राशि की कुल संख्या अनुबंध-IV में दी गई है।

(ग) से (घ):

I. पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करना।

II. एपीवाई के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, नामांकन में सुधार करने और गिरावट की दर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर नियमित अभियान आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से 01.07.2025 देश भर में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 3 महीने का "वित्तीय समावेशन परिपूर्णता अभियान" शुरू किया गया है। इन दो जनसुरक्षा योजनाओं में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी स्थानीय निकायों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जो निवासियों को सूचना तक सीधी पहुंच प्रदान करते हैं और योजना में नामांकन के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और भागीदारी में सुधार करना है, जिससे योजना के तहत नामांकन में कमियों को दूर करने में मदद मिलती है।

(ii) इसके अलावा, एक जनसुरक्षा पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) का सृजन किया गया है, जो अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इन योजनाओं से संबंधित फॉर्म, नियम, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) आदि सहित सभी प्रासंगिक सामग्री/जानकारी को उपलब्ध कराती है।

(iii) राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर समितियां (यूटीएलबीसी) राज्य स्तर पर इन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए बैंकों, सरकारी एजेंसियों, अग्रणी जिला प्रबंधकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों के बीच प्रयासों का समन्वय करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं;

(iv) वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2017 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले नवाचार और भागीदारी दृष्टिकोण को अपनाना है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है;

(v) लगभग 16 लाख बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) का एक मजबूत नेटवर्क, जो बैंकिंग सेवा वितरण प्रणाली में अंतिम चरण तक का योगदान देता है, इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र लोगों को भी नामांकित कर रहा है।

(vi) प्रत्येक योजना के अंतर्गत नियमित अंतरालों पर सभी बैंकों को लक्ष्यों का आबंटन और बैंकों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकता पढ़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(ङ): ये योजनाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित भारत के सभी पात्र नागरिकों के लिए खुली हैं। तथापि, इन योजनाओं के अभिदाताओं का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*****

दिनांक 28.07.2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *114 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिनांक 02.07.2025 की स्थित के अनुसार पीएमजेजेबीवाई				
		संचयी पुरुष (क)	संचयी महिला (ख)	अन्य (ग)	कुल (घ= क+ख+ग)	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकित पीएमजेडीवाई खाताधारक-संचयी नामांकन(ङ) [घ के अलावा]
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	48,533	40,216	263	89,012	7,729
2	आंध्र प्रदेश	61,14,212	71,20,409	1,95,34,798	3,27,69,419	27,94,066
3	अरुणाचल प्रदेश	1,16,795	1,28,270	14,299	2,59,364	55,176
4	असम	19,97,494	31,01,650	1,55,520	52,54,664	23,64,582
5	बिहार	56,81,219	98,40,685	25,57,853	1,80,79,757	72,50,959
6	चंडीगढ़	91,295	59,065	1,774	1,52,134	31,817
7	छत्तीसगढ	26,37,534	38,69,412	14,64,070	79,71,016	31,61,926
8	दादरा और नगर हवेली	1,04,423	45,920	1,414	1,51,757	32,912
9	दिल्ली	13,32,903	11,28,138	26,288	24,87,329	7,68,127
10	गोवा	1,95,968	1,63,606	1,830	3,61,404	47,861
11	गुजरात	52,90,790	38,87,744	3,61,036	95,39,570	27,74,533
12	हरियाणा	25,62,920	21,58,262	1,97,154	49,18,336	13,68,141
13	हिमाचल प्रदेश	6,29,469	5,38,043	76,356	12,43,868	2,72,841
14	जम्मू और कश्मीर	5,99,028	3,47,137	1,38,355	10,84,520	1,86,690
15	झारखंड	28,40,800	43,42,188	7,86,403	79,69,391	36,48,467
16	कर्नाटक	54,59,968	61,13,077	38,73,101	1,54,46,146	29,51,563
17	केरल	13,05,170	15,42,070	13,19,783	41,67,023	5,45,389
18	लद्दाख	24,575	11,410	925	36,910	2,318
19	लक्षद्वीप	3,706	2,501	125	6,332	1,430
20	मध्य प्रदेश	65,35,846	80,55,156	4,40,830	1,50,31,832	61,83,762
21	महाराष्ट्र	82,81,629	85,73,524	3,86,965	1,72,42,118	63,18,427
22	मणिपुर	1,17,491	1,72,986	99,650	3,90,127	95,185
23	मेघालय	2,04,464	3,46,354	15,880	5,66,698	2,04,741
24	मिजोरम	1,70,581	1,91,817	4,812	3,67,210	74,186
25	नागालैंड	1,05,657	1,18,401	4,222	2,28,280	56,642
26	ओडिशा	36,28,992	55,91,999	15,88,645	1,08,09,636	35,05,283
27	पुडुचेरी यूटी	99,285	1,27,760	21,420	2,48,465	37,427
28	पंजाब	25,29,842	21,26,795	55,703	47,12,340	8,39,564
29	राजस्थान	57,72,002	61,71,740	19,76,543	1,39,20,285	52,77,794
30	सिक्किम	75,289	73,024	2,843	1,51,156	14,188
31	तमिलनाडु	40,39,381	61,52,076	3,80,379	1,05,71,836	20,49,458
32	तेलंगाना	37,42,040	45,23,802	1,12,523	83,78,365	14,07,827
33	त्रिपुरा	2,67,394	2,79,486	15,116	5,61,996	1,88,957
34	उत्तर प्रदेश	1,32,61,040	1,32,05,109	34,16,099	2,98,82,248	1,08,12,249
35	उत्तराखंड	8,69,169	7,94,823	50,532	17,14,524	4,35,631
36	पश्चिम बंगाल	55,68,704	79,70,733	2,08,159	1,37,47,596	59,28,606
देश का कुल योग		**9,23,05,608**	**10,89,15,388**	**3,92,91,668**	**24,05,12,664**	**7,16,96,454**
जलगांव जिला		2,52,374	3,20,969	1,532	5,74,875	2,43,603

स्रोतः अभिसरित योजनाओं के लिए सार्वभौमिक योजनाओं एवं बीमा कंपनियों के लिए बैंक

*अन्य में अभिसरित योजनाओं, ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) एवं शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) का नामांकन शामिल है जिसके लिए लिंग-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 28.07.2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *114 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिनांक 2.07.2025 के अनुसार पीएमएसबीवाई				
		संचयी पुरूष (क)	संचयी महिला (ख)	अन्य (ग)	कुल (घ=क+ख+ग)	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकित पीएमजेडीवाई खाताधारक-संचयी नामांकन (ङ) (घ के अलावा)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	89,259	68,918	15,539	1,73,716	23,414
2	आंध्र प्रदेश	1,38,96,700	1,51,71,096	2,60,27,781	5,50,95,577	55,92,913
3	अरुणाचल प्रदेश	2,26,607	2,33,200	1,780	4,61,587	1,14,416
4	असम	58,31,372	73,62,777	1,68,742	1,33,62,891	70,90,793
5	बिहार	1,49,52,778	1,98,02,996	3,86,423	3,51,42,197	1,63,93,507
6	चंडीगढ़	2,62,627	1,79,817	2,391	4,44,835	90,190
7	छत्तीसगढ	67,26,529	78,05,073	18,71,112	1,64,02,714	65,25,574
8	दादरा और नगर हवेली	1,92,164	79,409	9,790	2,81,363	57,337
9	दिल्ली	36,06,530	28,47,365	11,066	64,64,961	17,93,992
10	गोवा	4,16,313	3,35,222	12,473	7,64,008	88,009
11	गुजरात	1,13,94,898	80,38,649	7,11,518	2,01,45,065	58,99,915
12	हरियाणा	64,69,380	49,49,779	33,824	1,14,52,983	32,79,479
13	हिमाचल प्रदेश	17,26,944	13,44,965	40,578	31,12,487	7,59,589
14	जम्मू और कश्मीर	14,50,198	8,92,668	33,924	23,76,790	5,11,790
15	झारखंड	66,01,003	79,69,080	1,55,492	1,47,25,575	69,32,820
16	कर्नाटक	1,16,92,917	1,19,17,891	2,57,341	2,38,68,149	56,85,688
17	केरल	51,74,760	57,69,332	2,87,712	1,12,31,804	19,58,444
18	लद्दाख	45,839	25,059	173	71,071	4,838
19	लक्षद्वीप	9,575	7,533	12,382	29,490	3,601
20	मध्य प्रदेश	1,73,25,789	1,74,74,978	9,38,870	3,57,39,637	1,53,77,314
21	महाराष्ट्र	1,96,13,233	1,80,77,167	8,01,740	3,84,92,140	1,32,51,447
22	मणिपुर	2,65,389	3,60,500	2,253	6,28,142	2,25,191
23	मेघालय	4,22,212	5,77,428	676	10,00,316	3,70,983
24	मिजोरम	2,66,750	2,79,964	3,165	5,49,879	1,11,386
25	नागालैंड	2,39,475	2,65,825	557	5,05,857	1,30,308
26	ओडिशा	1,00,91,003	1,18,42,948	11,93,164	2,31,27,115	81,58,696
27	पुदुचेरी यूटी	2,42,012	2,74,895	55,882	5,72,789	71,474
28	पंजाब	71,99,657	58,89,470	1,03,671	1,31,92,798	27,52,135
29	राजस्थान	1,37,50,426	1,32,03,877	3,29,900	2,72,84,203	1,24,16,032
30	सिक्किम	1,50,112	1,31,202	1,439	2,82,753	28,496
31	तमिलनाडु	1,06,87,062	1,45,23,819	7,10,843	2,59,21,724	47,87,521
32	तेलंगाना	84,55,927	89,73,293	4,83,329	1,79,12,549	30,79,221
33	त्रिपुरा	7,53,698	6,30,282	3,349	13,87,329	4,51,008
34	उत्तर प्रदेश	3,89,32,171	3,41,21,216	34,72,879	7,65,26,266	3,07,99,049
35	उत्तराखंड	27,85,793	22,82,624	35,844	51,04,261	14,16,082
36	पश्चिम बंगाल	1,54,40,363	1,90,81,664	1,66,857	3,46,88,884	1,69,79,611
देश का कुल योग		**23,73,87,465**	**24,27,91,981**	**3,83,44,459**	**51,85,23,905**	**17,32,12,263**
जलगांव जिला		6,14,340	6,42,510	10,982	12,67,832	5,18,287

स्रोतः अभिसरित योजनाओं के लिए सार्वभौमिक योजनाओं एवं बीमा कंपनियों के लिए बैंक

*अन्य में अभिसरित योजनाओं, ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) एवं शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) का नामांकन शामिल है जिसके लिए लिंग-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 28.07.2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *114 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध III (30.06.2025 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचयी पुरूष (क)	संचयी महिला (ख)	अन्य (ग)	कुल (घ=क+ख+ग)
1.	महाराष्ट्र	4,078,880	3,469,980	2,270	7,551,130
2.	कर्नाटक	2,379,937	2,082,418	1,259	4,463,614
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8,066	5,857	10	13,933
4.	आंध्र प्रदेश	1,520,463	2,426,499	2,173	3,949,135
5.	अरुणाचल प्रदेश	19,017	17,672	12	36,701
6.	असम	806,188	1,085,135	422	1,891,745
7.	बिहार	3,021,259	3,953,442	866	6,975,567
8.	चंडीगढ़	48,394	28,654	52	77,100
9.	छत्तीसगढ	730,110	766,257	255	1,496,622
10.	दिल्ली	575,096	363,293	526	938,915
11.	गोवा	66,221	42,939	61	109,221
12.	गुजरात	1,924,334	870,658	802	2,795,794
13.	हरियाणा	1,083,770	663,421	542	1,747,733
14.	हिमाचल प्रदेश	352,292	226,125	88	578,505
15.	जम्मू और कश्मीर	169,634	81,949	122	251,705
16.	झारखंड	1,016,116	1,344,226	396	2,360,738
17.	केरल	695,481	814,228	462	1,510,171
18.	लद्दाख	4,367	2,438	12	6,817
19.	लक्षद्वीप	2,016	1,202	6	3,224
20.	मध्य प्रदेश	2,386,773	2,258,839	1,308	4,646,920
21.	मणिपुर	32,297	35,477	56	67,830
22.	मेघालय	36,040	40,833	8	76,881
23.	मिजोरम	14,086	16,017	4	30,107
24.	नागालैंड	20,526	19,447	6	39,979
25.	ओडिशा	1,340,648	1,610,508	843	2,951,999
26.	पुदुचेरी	44,898	58,745	65	103,708
27.	पंजाब	1,369,845	921,576	575	2,291,996
28.	राजस्थान	2,619,613	1,558,841	688	4,179,142
29.	सिक्किम	23,301	20,497	28	43,826
30.	तमिलनाडु	2,198,537	2,929,735	3,003	5,131,275
31.	तेलंगाना	1,183,073	1,298,760	1,359	2,483,192
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	34,495	7,159	9	41,663
33.	त्रिपुरा	134,410	158,354	23	292,787
34.	उत्तर प्रदेश	7,838,734	5,011,822	3,846	12,854,402
35.	उत्तराखंड	521,464	325,963	238	847,665
36.	पश्चिम बंगाल	2,637,083	3,439,613	1,407	6,078,103
	सकल योग	**40,937,464**	**37,958,579**	**23,802**	**78,919,845**
जलगांव जिला		94,814	74,155	83	169,052

स्रोत: पीएफआरडीए

टिप्पणी: पीएफआरडीए के पास पीएमजेडीवाई -वार खाता ब्यौरा नहीं रखा जाता

दिनांक 28.07.2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *114 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध IV

दिनांक 02.07.2025 की स्थिति के अनुसार दावा आंकड़े		
योजना का नाम	**संवितरित दावों की संचयी संख्या**	**संवितरित संचयी दावा राशि (करोड़ रुपये में)**
पीएमजेजेबीवाई	**9,47,840**	**18,956.80**
पीएमएसबीवाई	**1,61,297**	**3,203.36**

स्रोत: बैंक और बीमा कंपनियां

*****